Government of National Capital Territory of Delhi

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MINORITY

IInd Floor, B-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002

Ph.: 23379511-12, Fax: 23379513,

Website: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in, E-mail: ddscstdel@hub.nic.in

CLOSING DATE: 01.09.2014

Applications for reimbursement of Tuition Fee and other compulsory fee for the year 2014-15, are invited in the prescribed Proforma already available on the website of this department from SC/ST/OBC/Minorities students whose family income is below Rs. 2,00,000/- per anum upto 01-09-2014 during office hours between 10:00 AM to 1:00 PM.

The following are the eligibility conditions under the scheme:

(1) The applicant belongs to the minority communities should be a resident of Delhi for the past three years and should submit proof thereof like EPIC card, Adhar Number, Ration Card, Land line telephone bill of MTNL, Driving License issued by GNCTD and Domicile Certificate issued by SDM in Delhi or Pass Book of Nationalized Bank.

(2) The applicant should submit attested copy of Caste Certificate (SC/ST/OBC) issued in the name of student or his father's name by SDM/Deputy Commissioner (Revenue), GOVT. of NCT of Delhi, Domicile Certificate of Delhi if the caste (SC) certificate is not issued by the competent authority of Govt. of NCT of Delhi is required.

(3) In case of minority student, declaration by parent/guardian in the form of an affidavit (in Non-Judicial Stamp Paper of Rs.10/-) that his Son/Daughter belongs to particular Minority Community.

(4) The school in which he/she is studying should be recognized/affiliated with Dept. of Education, Govt. of NCT of Delhi.

(5) Repeaters in a particular class will not be eligible for such benefits.

(6) Students studying in classes 1st to 5th will be entitled for reimbursement of tuition and other compulsory fees regardless of marks, but in the case of students studying in classes 6th to 12th, tuition and other compulsory fees will be reimbursed to only those scoring 50% and above marks and having not less than 80% attendance in the preceding year. (i.e. Student studying in class 6th may submit marksheet of class of 5th).

(7) Students with family income upto Rs. 60,000/- PA. will be eligible for 100% reimbursement while those with parental income between Rs. 60,001/- to 2,00,000/- P.A. will be eligible for 75% reimbursement of Fees.

(8) For family income latest salary slip in the case of parent/guardian in Government service. Income certificate from the concerned SDM of Delhi in case of Parent/Guardian engaged in private job/service/other profession. Income certificate for current financial year is required.

(9) All attached requisite documents should be got attested by a Gazetted Officer.

(10) Bank Account should be in the name of the student (Joint Bank Account With parent/Guardian is also permissible) and proforma of Bank detail should be verified by the concerned Bank/Branch authority.

(11) Original Fees receipt (in r/o 1st Six months of academic session) and fee structure should be attached with the application form.

(12) The scholarship will be awarded as per order/Notification/Circular issued by GNCT of Delhi from time to time.

How to Apply:

(1) Application forms can be downloaded from the website of this department **www.scstwelfare.delhigovt.nic.in.**

(2) Students and their parents / guardian are advised to apply in the prescribed format to their respective School Principals/Head Masters immediately or latest by **01.09.2014** who would forward the consolidated statement and application forms and other attested documents including original fee receipt to this department immediately or latest by **10.09.2014.**

(3) Original receipt of tuition and other compulsory fees for the subsequent six months of the academic session should be submitted by the students/parents latest by **15.01.2015**

Documents to be attached with the application:

(1) Attested copy of Caste Certificate issued in the Name of Students / Father (in respect of SC/ST/OBC) & affidavit (in Non-Judicial stamp Paper of Rs. 10/- with revenue stamp of Rs. 5/-) (in respect of Minority Students) by parent/guardian declaring his son/daughter belongs to particular Minority Community.

(2) Attested copy of EPIC Card/Adhaar Number, Ration Card, Land line telephone bill of MTNL, Driving License issued by GNCTD and domicile Certificate issued by SDM in Delhi or Pass Book of Nationalized Bank.

(3) Attested copy of income certificate from SDM concerned (for parent/guardian engaged in private job/service/other profession)/Salary Slip (in case of Government Servants).

(4) Attested copy of previous-class mark sheet (From 5th class to 12th class only).

(5) Original fees receipt and fee structure.

DIP/0634/14-15

For further details and application form, please log on to the website: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

द्वितीय तल, बी-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

फोन : 23379511-12, फैक्स: 23379513,

वेबसाइट : www.scstwelfare.delhigovt.nic.in, ई-मेल : ddscstdel@hub.nic.in

अंतिम तिथि : 01.09.2014

रू. 2,00,000/– प्रति वर्ष से कम पारिवारिक आय वाले अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक विद्यार्थियों से वर्ष 2014–15 हेतु शिक्षण शुल्क तथा अन्य अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन इस विभाग की वेबसाइट पर पहले से उपलब्ध विहित प्रारूप में दिनांक **01.09.2014** तक कार्यालय समय के दौरान पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 1.00 बजे तक आमंत्रित हैं।

स्कीम के तहत पात्रता हेतु निम्नलिखित शर्तें हैं :

(1) अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित आवेदक पिछले तीन वर्षों से दिल्ली का निवासी होना चाहिए तथा उसका प्रमाण जैसेकि ईपीआईसी कार्ड, आधार नम्बर, राशन कार्ड, एमटीएनएल का लैण्डलाइन टेलीफोन बिल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेन्स तथा दिल्ली में एसडीएम द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(2) आवेदक को एसडीएम/उपायुक्त (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा विद्यार्थी अथवा उसके पिता के नाम में जारी जाति प्रमाणपत्र (अजा/अजजा/अपिव) की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए दिल्ली का अधिवास प्रमाणपत्र अपेक्षित है यदि जाति (अजा) प्रमाणपत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है।

(3) अल्पसंख्यक विद्यार्थी के मामले में, माता–पिता/संरक्षक द्वारा एक शपथपत्र (रू. 10/– के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर) के रूप में घोषणा कि उसका पुत्र/पुंत्री अल्पसंख्यक समुदाय विशिष्ट से संबंधित है।

(4) विद्यालय जिसमें वह पढ़ रहा/रही है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग से सम्बद्ध/मान्यताप्राप्त होना चाहिए।

(5) किसी एक कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी ऐसे लाभों हेतु पात्र नहीं होंगे।

(6) कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ रहे विद्यार्थी प्राप्तांकों से असम्बद्धता के साथ शिक्षण शुल्क तथा अन्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे, परंतु कक्षा 6 से 12 तक में पढ़ रहे विद्यार्थियों के मामले में, शिक्षण शुल्क तथा अन्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति केवल उन विद्यार्थियों को की जाएगी, जिनके प्राप्तांक पिछले वर्ष में 50 प्रतिशत अथवा अधिक हैं तथा उपस्थिति 80 प्रतिशत से अधिक है (अर्थात छठी कक्षा में पढ़ रहा विद्यार्थी 5वीं कक्षा की अंकतालिका प्रस्तुत कर सकता है)।

(7) ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार की आय रू. 60,000/– प्रति वर्ष तक है, 100 प्रतिशत भरपाई के हकदार होंगे जबकि रू. 60,001/– प्रति वर्ष से रू. 2,00,000/– प्रति वर्ष तक की पारिवारिक आय वाले विद्यार्थी 75 प्रतिशत शुल्क भरपाई के हकदार होंगे।

(8) परिवार की आय के लिए सरकारी सेवारत माता–पिता/संरक्षक के मामले में नवीनतम वेतन पर्ची, निजी कार्य/नौकरी/अन्य पेशागत माता–पिता/संरक्षक के मामले में दिल्ली के संबंधित एसडीएम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष हेतु आय प्रमाणपत्र अपेक्षित होगा।

(9) संलग्न समस्त आवश्यक दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाए जाने चाहिए।

(10) बैंक खाता विद्यार्थी के नाम में होना चाहिए (माता–पिता/संरक्षक के साथ संयुक्त बैंक खाता भी स्वीकार्य है) तथा बैंक विवरण का प्रोफार्मा संबंधित बैंक/शाखा प्राधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

(11) आवेदन प्रपत्र के साथ शुल्क रसीद की मूल प्रति (शैक्षिक सत्र के पहले छह माह के संबंध में) तथा शुल्क संरचना भी संलग्न की जानी चाहिए।

(12) छात्रवृत्ति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश/अधिसूचना/परिपत्र के अनुसार प्रदान की जाएगी।

आवेदन कैसे करें :

(1) आवेदन प्रपत्र इस विभाग की वेबसाइट www.scstwelfare.delhigovt.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

(2) विद्यार्थियों तथा उनके माता–पिता/संरक्षक को उनके संबंधित स्कूल प्रिंसिपल/हेड मास्टर को अतिशीघ्र अथवा अधिकतम **01.09.2014** तक विहित प्रारूप में आवेदन करने की सलाह दी जाती है, जिनके द्वारा समेकित विवरण तथा आवेदन प्रपत्र और अन्य सत्यापित दस्तावेज जिनमें शुल्क रसीद की मूल प्रति शामिल है, इस विभाग को अतिशीघ्र अथवा अधिकतम **10.09.2014** तक अग्रेषित किए जाएंगे।

(3) शैक्षिक सत्र के अनुवर्ती छह माह के लिए शिक्षण शुल्क तथा अन्य अनिवार्य शुल्कों की मूल रसीद विद्यार्थियों/अभिभावकों द्वारा अधिकतम **15.01.2015** तक प्रस्तुत की जानी चाहिए।

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने हेतु दस्तावेज :

(1) विद्यार्थी/पिता के नाम में जारी जाति प्रमाणपत्र (अजा/अजजा/अपिव के संबंध में) की सत्यापित प्रति एवं माता–पिता/संरक्षक द्वारा शपथपत्र (रू. 10/– के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर रू. 5/– की राजस्व स्टाम्प के साथ) के रूप में घोषणा कि उसका पुत्र/पुंत्री अल्पसंख्यक समुदाय विशिष्ट से संबंधित है।

(2) ईपीआईसी कार्ड, आधार नम्बर, राशन कार्ड, एमटीएनएल का लैण्डलाइन टेलीफोन बिल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेन्स तथा दिल्ली में एसडीएम द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक की सत्यापित प्रति।

(3) दिल्ली के संबंधित एसडीएम द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र (निजी कार्य/नौकरी/अन्य पेशागत माता–पिता/संरक्षक के मामले में) तथा वेतन पर्ची (सरकारी सेवारत माता–पिता/संरक्षक के मामले में) की सत्यापित प्रति।

(4) पिछली कक्षा की अंक तालिका की सत्यापित प्रति (कक्षा 5 से कक्षा 12 तक के लिए)।

(5) मूल शुल्क रसीद और शुल्क संरचना।

DIP/0634/14-15

आगे और विवरण तथा आवेदन प्रपत्र के लिए, कृपया वेबसाइट लॉगऑन करें : www.scstwelfare.delhigovt.nic.in